न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 105 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. राजू वल्द धनराज 2. राधेश्याम पुत्र धनराज 3. शारदादेवी पत्नी ओमाराम 4. हूआदेवी पत्नी धनराज 5. बाबुलाल पुत्र भंवरलाल 6. मदनलाल पुत्र भंवरलाल 7. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल 8. पुष्पा पत्नी भंवरलाल 9. मांगीलाल पुत्र दुर्गाराम 10. चम्पालाल पुत्र गंगाराम सभी जाति खारवाल निवासीगण पचपदरा जिला बाड़मेर 11. हूंडी उर्फ भूंडी उर्फ हूआ पुत्री शिवलाल पत्नी मांगीलाल जी निवासीगण पचपदरा जिला बाड़मेर	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा 2. खेताराम पुत्र लिखमाराम जाति खारवाल निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3. विजयराज पुत्र शिवलाल 4. ढलाराम पुत्र शिवलाल 5. विलोपित, 5 / 1 3 से 5 जाति खारवाल निवासीगण पचपदरा जिला बाड़मेर 6. राहुल गोदारा पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी थोरियो की ढाणी, नागाणा जिला बाड़मेर 7. श्रीमती सोनाली पत्नी राहुल गोदारा, निवासी थोरियो की ढाणी नागाणा जिला बाड़मेर 8. रमेशदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी रेवाड़ा सण्डायचारणान तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 92 / 2021 बअनवान खेताराम बनाम विजयराज वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री मनोहरसिंह शेखावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—08.12.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा अपीलार्थी की पुश्तैनी जायदाद कब्जा काश्त व रेवेन्यु करने में अमल दरामद रही है जो बाद में परिवर्तन कर नये खसरान 121 / 1, 121 / 2, 121 / 3 जिनके वर्तमान खसरा संख्या इस प्रकार है 1097 / 121, 3285 / 121, 3287 / 121, 1096 / 121, 1095 / 121, 1093 / 121, 3288 / 121, 1094 / 121, 3289 / 121 मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा में आई हुई है रेस्पोडेंटस संख्या 2 द्वारा गलत व

08.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निराधार तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 3 ता 8 के विरूद्ध एक वाद वावत घोषणा खसरा संख्या 1093/121, 1094/121, 1095/121, 1096/121, 1097/121 में खातेदारी घोषणा हेतु वाद पेश किया गया और रेस्पोडेंटस संख्या 3 से 5 और रेस्पोडेंटस संख्या 6 से 8 से मिलीभगत एवं दुरभिसंधि आधार पर वाद का निरतारण करवाया गया है जिसकी कानून अनुमति नहीं देता है और अपीलार्थीगण के हितों के विरूद्ध आलौच्य आदेश पारित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादी/रेस्पोडेंटस द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए वाद में नोटिस जारी करवाकर जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस अपीलार्थीगण को तामिल करवाने का कथन किया गया है जबकि वास्तविकता में अपीलार्थीगण को उक्त वाद के नोटिसेज कभी तामिल ही नहीं हुए है, इसलिए वाद की समुचित तामिल नहीं हुई है, बिना तामिल के वाद की प्रक्रिया को आगे बढाकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश करवाया गया जिसकी भनक अप्रार्थीगण को नहीं होने दी। इस प्रकार आलौच्य आदेश पारित होने से पूर्व वाद की पैरवी व पेरोकारी बाबत अपीलार्थीगण को समुचित अवसर नहीं मिलने के कारण अपने बचाव पक्ष को पेश करने में असमर्थ रहे है। इसलिए आलौच्य आदेश कानून की दृष्टि से सम्पूर्ण एवं सही साक्ष्य के अभाव में कतई न्यायोचित व न्यायसंगत नहीं है इसलिए आलोच्य आदेश गुणावगुण पर नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश मे अपने विधि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है मात्र रेस्पोडेंटस संख्या 2 जो रेस्पोडेंटस संख्या 3 से 5 तथा रेस्पोडेंटस संख्या 6 से 8 से अपने हक की जमीन नहीं लेने की इच्छा जाहिर की मात्र इसी आधार पर अन्य पक्षकारान के विरूद्ध वाद को बविरूद्ध अपीलार्थीगण डिक्री किया गया। विवादित जायदाद पर अपीलार्थीगण एवं उनकी पीढ़ियों का पुश्तैनी जायदाद पर कदिमी काल से कब्जा काश्त और रेकर्ड अमल दरामद रहा है जो आज दिन तक लगातार निरन्तर जारी है। रेस्पोडेंटस संख्या 2 का कभी भी उक्त जायदाद पर कब्जा काश्त नहीं रहा है इसलिए अपीलार्थीगण के हिस्से की

09.12.22
राजस्व अपील प्राधि...
बाड़मेर

भूमि पर रेस्पोडेंटस संख्या 2 अपनी भूमि बावत घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन आराजी पर वादी/रेस्पोडेंटस का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है उक्त आराजी पर अपीलार्थी संख्या 11 के पिता शिवलाल का कब्जा रहा है कब्जा और खातेदारी रही और उनके द्वारा ही उक्त आराजी को उपयोग उपभोग एवं कृषि कार्य किया जाता रहा है वर्ष दिनांक 02.11.2001 के बाद उक्त आराजी पर अपीलार्थी संख्या 11 व अन्य अपीलार्थी द्वारा कब्जा काश्त रहीं है वर्तमान में भारत सरकार को योजनान्तर्गत रिफाइनरी का प्लान्टेशन होने की वजह से उक्त एरिया में जमीनों की किमतों में बढोतरी हुई है इस वजह से वादी नाजायज रूप से अपना कब्जा काश्त बताकर अपीलार्थीगण की जमीन हड़पना चाहता है इसी आशय से आलोच्य आदेश पारित करवाया गया। अदालत मातहत ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिस पर तनकीवार कोई साक्ष्य नहीं ली है, बिना साक्ष्य लिये व बिना साक्ष्य का विवेचन किए अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय जैसे मेरिटस पर किया गया हो, वैसे किया है, जो विधिक प्रावधानों के बिलकुल विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादी/रेस्पोडेंटस संख्या 02 एवं शिवा वल्द दुर्गा एवं नवला वगैरा का कब्जा काश्त खेत खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा में से प्रत्येक का पांच पांच बीघा पर वक्त सेटलमेंट से चला आ रहा हैं चूंकि उक्त खसरा खालसा सरकार में दर्ज हो जाने से कब्जा एवं काश्त के अनुसार खातेदारी वक्त प्रथम सेटलमेंट दर्ज नहीं हो पाई लेकिन राजस्व रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी खसरा परिवर्तनशील एवं ढालबांछ विक्रम संवत 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 में रेस्पोडेंट संख्या 02 एवं शिव वल्द दुर्गा के नाम काश्त दर्ज है जो राजस्व दस्तावेजात से भली भांति साबित है। खसरा संख्या 261 जिसके नये खसरा संख्या 121 एवं अन्य बने जिस में से रेस्पोडेंटस संख्या 2 के पिता हरिराम तथा शिवा वल्द दुर्गा का कब्जा काश्त खसरा संख्या 121 रकबा 24 बीघा वाले भाग पर था तथा वही पर रेस्पोडेंटस के पिता लिखमा पुत्र हरिराम एवं इसके पूर्व हरिराम पुत्र मूलाराम जाति खारवाल की ढाणी घर बाडा आदि निवास स्थान भी इसी विवादग्रस्त खसरे में बना हुआ था तथा शांति पूर्वक काबिज काश्त थे जिसकी ताईद राजस्व दस्तावेज गिरदावरी ढालबाछ एवं अस्थाई हिस्सा मात्र जमाबन्दी ग्राम

8.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मण्डापुरा से भली भांति साबित है। कब्जा काश्त के आधार पर ग्राम मण्डापुरा के खसरा संख्या 261(121) के खसरा मिलान क्षेत्रफल वक्त सेटलमेंट के दस्तावेजात में स्पष्ट रूप से अंकित किया कि संवत 2018 की गिरदावरी अनुसार शिवा वल्द दुर्गा के नाम खातेदारी देना उचित है, ऐसा साफ साफ लिखा गया था। इसके बावजूद शिवा वल्द दुर्गा के अलावा अन्य भाईयों को खातेदारी किस आधार पर दी गई इसका कोई सबूत नही है। ऐसी स्थिति में शिवा के अलावा जो खातेदारी दी गई यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण अवलोकन करने के बाद उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाकर रेस्पोडेंट का वाद स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को दर्ज किया गया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी किये गये। दोनों पक्षों की वाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तनकी वार पारित की गई। तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी के दादा स्वर्गीय हरीराम पुत्र मूलाराम के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा, में से 16 बीघा भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व से कब्जा काश्त था स्व0 हरिराम के साथ साथ अन्य काश्तकारों रूपा वल्द नवला, रूपा वल्द पुरखा एवं सवा वल्द दुर्गा के नाम के साथ साथ कब्जा चला आ रहा था जो कब्जा आज तक वादी परिवार का चला आ रहा है। हरिराम के फौत होने के बाद खसरा संख्या 261 रकबा 54 बीघा में से 16 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त लखमा पुत्र हरिराम का दर्ज हुआ जो कि वादी के पिताजी है। खसरा संख्या 261 के नये खसरा संख्या 121 बना तथा उसका रकबा 24 बीघा दर्ज किया गया उक्त खसरान संख्या 121 रकबा 24 बीघा में से वादीगण के पिता का कब्जा 5 बीघा पर था जिसकी ताईद अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर पेश दस्तावेजात खसरा गिरदावरी संवत 2018 से 2021, खसरा गिरदावरी संवत 2023 से 2026 व खसरा गिरदावरी संवत 2028 से 2030, खसरा परिवर्तनशील संवत 2016, खसरा परिवर्तनशील संवत 2017, खसरा परिवर्तनशील संवत 2021 से स्पष्ट बखुबि साबित है। वादी के पिताजी के नाम से खसरा संख्या 261 रकबा 5 बीघा भूमि वाके

08.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौजा मण्डापुरा तहसील पचपदरा के नाम से कब्जा काश्त के आधार पर एवं अस्थाई जमाबंदी, ढाल बांछ के आधार पर खातेदारी अंकन वादी के पिताजी के नाम दर्ज होना चाहिये था, जो नही की गई। वादी/रेस्पोडेंट को विधि में वर्णित अधिकार मातहत अदालत द्वारा वाद सुनवाई दिया गया जो न्यायोचित है। वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा गिरदावरी संवत 2018 एवं पर्चा लगान के अनुसार शिवलाल अकेले के नाम ही खातेदारी दिया जाना उचित था। इसकी पुष्टि भू. प्रबंध सेटलमेंट विभाग के द्वारा कॉलम संख्या 7 में स्पष्ट अंकन किया गया कि शिवलाल अकेले के नाम दर्ज होना उचित है। इससे स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेंट की खातेदारी अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज हो गयी वे कभी भी सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजी के काश्तकार नहीं थे। सेटलमेंट के अधिकारियों के द्वारा की गई टिप्पणी के अनुसार खातेदारी दर्ज नहीं की गई। खसरा गिरदावरी नकलों में वादी के दादा हरिराम के नाम से वक्त सेटलमेंट से पूर्व कब्जा काश्त दर्ज है। वादी/रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में पेश राजस्व वाद संख्या 54/2010 में अपीलांटगण द्वारा पेश जबाव दावे में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पुराने खसरा नंबर 261 रकबा 24 का सेटलमेंट के समय नये खसरा नंबर 121 रकबा 24 बीघा बना है। वादी/रेस्पोडेंट द्वारा पेश राजस्व वाद संख्या 54/2010 का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं होने से हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलांटस द्वारा पेश अपील में आपति की गई कि अपीलांटस के नाम से जारी सम्मन पर तामील नहीं हुई जबकि पत्रावली पर उपलब्ध द्वितीय प्रति से साबित है कि अपीलांटस के नाम रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भिजवाये गये जो पर्याप्त तामिल की श्रेणी में आता है इसलिए अपीलांटस की तामील के संबंध में आपति निराधार है। अपीलांटस ने अपील में आपति की है कि अपीलाधीन आराजी पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है जबकि वादी/रेस्पोडेंटस द्वारा पेश दस्तावेजात से अपीलाधीन आराजी पर वादी/रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त वक्त सेटलमेंट से है। सेटलमेंट अधिकारियों को बिना किसी कारण या सक्षम अधिकारी द्वारा पारित निर्णय के अभाव में सेटलमेंट की प्रविष्टि को हूबहू दोहराना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटस द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजात पेश नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलाधीन आराजी में वादी/रेस्पोडेंट का कोई हक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांटस येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर

08.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 92/2021 वअनवान खेताराम बनाम विजयराज वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.2022 को यथावत रखा जाता है।

08.12.23

(मंगलाराम पुनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिकरी व मुकदमें अपील
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil procedeure Code, Appendix D-1)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस
राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 105 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. राजू वल्द धनराज 2. राधेश्याम पुत्र धनराज 3. शारदादेवी पत्नी ओमाराम 4. हूआदेवी पत्नी धनराज 5. बाबुलाल पुत्र भंवरलाल 6. मदनलाल पुत्र भंवरलाल 7. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल 8. पुष्पा पत्नी भंवरलाल 9. मांगीलाल पुत्र दुर्गाराम 10. चम्पालाल पुत्र गंगाराम सभी जाति खारवाल निवासीगण पचपदरा जिला बाड़मेर 11. हूंडी उर्फ भूंडी उर्फ हूआ पुत्री शिवलाल पत्नी मांगीलाल जी निवासीगण पचपदरा जिला बाड़मेर	1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा 2. खेताराम पुत्र लिखमाराम जाति खारवाल निवासी मण्डापुरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3. विजयराज पुत्र शिवलाल 4. ढलाराम पुत्र शिवलाल 5. विलोपित, 5 / 1 3 से 5 जाति खारवाल निवासीगण पचपदरा जिला बाड़मेर 6. राहुल गोदारा पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी थोरियो की ढाणी, नागाणा जिला बाड़मेर 7. श्रीमती सोनाली पत्नी राहुल गोदारा, निवासी थोरियो की ढाणी नागाणा जिला बाड़मेर 8. रमेशदान पुत्र दुर्गादान जाति चारण निवासी रेवाड़ा सण्डायचारणान तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 92 / 2021 बअनवान खेताराम बनाम विजयराज वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08. 2022 के विरूद्ध पेश हुई।

मुकदमा नम्बर 70 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनिफसाल कतई रू–ब–रू बहाजरी श्री मनोहरसिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 के अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी उपस्थित मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि– अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 92 / 2021 बअनवान खेताराम बनाम विजयराज वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03.08.2022 को यथावत रखा जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें। चीज.....मुबलिक.....बाबत्.....
...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयाबी तक.....को अदा करें।

08-12-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08.12.2023 को जारी की गई।

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी अपील	10	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	मेहनताना वकील	00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चागवाहान	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	व्वत इजराय हुक्मनामा	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफरिक	00	00
मुतफरिक(तलबाना)	00	00		00	00
मीजान	08		मीजान	01	

(नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहियें।)

08-12-23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर